

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

प्रकरण संख्या :-68/24

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
मैसर्स हिन्दुजा हाऊसिंग फाईनन्स लिमिटेड प्रथम तल, भिकी प्लाजा, अखलेया सर्किल, जोधपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री महेन्द्र जोशी		<ul style="list-style-type: none">पुरुषोत्तम केला पुत्र मोहनलाल केला प्लॉट नम्बर 21, खसरा न 107 रामदेव नगर गांव नादंडी, जोधपुरपप्पू देवी केला पत्नी पुरुषोत्तम केला प्लॉट नम्बर 21, खसरा न 107 रामदेव नगर गांव नादंडी, जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक :-29.08.2025

1-चन्द्र सिंह राठौड अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण पुरुषोत्तम केला पुत्र मोहनलाल केला व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रुपये 39,25,000/-मॉर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण पुरुषोत्तम केला पुत्र मोहनलाल केला की जायदाद प्लॉट नम्बर 21, खसरा न 107, रामदेव नगर गांव नादंडी, जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 166.67 वर्गगज जिसके उत्तर में भू खण्ड संख्या 20, दक्षिण में भू खण्ड संख्या 22, पूर्व में अन्य खसरा की भूमि एवं पश्चिम में रोड आया हुआ, को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहत/हार्डपेथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण भुगतान करने



Digitally signed by Gayatri Agrawal
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2025.08.29 14:39:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No :
17472759

के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 01.09.2023 तक 43,57,172/- भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 39,25,000/-मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 01.09.2023 तक 43,57,172/- वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्त /सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्चुराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्चुरिटीइन्ड्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्तजायदाद पुरुषोत्तम केला पुत्र मोहनलाल केला की जायदाद प्लॉट नम्बर 21, खसरा न 107, रामदेव नगर गांव नादंडी, जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 166.67 वर्गगज. जिसके उत्तर में भू खण्ड संख्या 20, दक्षिण में भू खण्ड संख्या 22, पूर्व में अन्य खसरा की भूमि एवं पश्चिम में रोड आया हुआ, का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।



आज दिनांक 29.08.2025 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by Garav Agrawal
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2025.08.29 14:39:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17472759